बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2007

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 का (बिहार अधिनियम 6,2006) संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ ।– (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–18 का संशोधन ।– (i)** बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा–18(5) की प्रथम कंडिका में शब्द ''आयुक्त'' शब्द 'सरकार'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा–18(5) की द्वितीय कंडिका ''इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप–मुखिया ऐसी ग्राम पंचायत में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुखिया या उप–मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।'' के स्थान पर निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :–

''निहित शक्तियों के दुरूपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के आरोप में इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप मुखिया हटाये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप मुखिया ऐसी ग्राम पंचायत में उसकी शेष अवधि के दौरान मुखिया या उप मुखिया या ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।''

(iii) उक्त अधिनियम की धारा–18(6) को विलोपित किया जाता है।

3. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–44 का संशोधन ।–** (i) उक्त अधिनियम की धारा–44(4) में शब्द ''आयुक्त'' शब्द ''सरकार'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा–44(4) की द्वितीय कंडिका में ''इस प्रकार हटाया गया प्रमुख/उप प्रमुख ऐसी पंचायत समिति की शेष अवधि के दौरान प्रमुख/उप प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील सदस्य, राजस्व पर्षद के समक्ष की जा सकेगी।'' निम्नलिखित कंडिका द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :–

''निहित शक्तियों के दुरूपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के आरोप में इस प्रकार हटाया गया प्रमुख या उप–प्रमुख हटाये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर इस प्रकार हटाया गया प्रमुख या उप–प्रमुख ऐसी पंचायत समिति में उसकी शेष अवधि के दौरान प्रमुख या उप प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।''

4. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–70 का संशोधन ।–** (i) उक्त अधिनियम की धारा– 70(5) की प्रथम कंडिका में उल्लेखित ''आयुक्त'' शब्द के स्थान पर ''सरकार'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा–70(5) की द्वितीय कंडिका ''इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसे जिला परिषद् में उसकी शेष कार्यावधि के दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील सदस्य, राजस्व पर्षद के समक्ष की जा सकेगी।'' निम्नलिखित कंडिका द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :–

''निहित शक्तियों के दुरूपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के आरोप में इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हटाये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसी जिला परिषद् में उसकी शेष अवधि के दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।''

5. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–97 का संशोधन** ।– (i) उक्त अधिनियम की धारा –97(5) की प्रथम कंडिका में शब्द ''आयुक्त'' शब्द ''सरकार'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा–97(5) की द्वितीय कंडिका ''इस प्रकार हटाया गया सरपंच या उप–सरपंच ऐसी ग्राम कचहरी में उसकी शेष पदावधि के दौरान सरपंच या उप–सरपंच या ग्राम कचहरी के पंच के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा'' के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :–

''निहित शक्तियों के दुरूपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने के आरोप में इस प्रकार हटाया गया सरपंच या उप–सरपंच हटाये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर इस प्रकार हटाया गया सरपंच या उप–सरपंच ऐसी ग्राम कचहरी में उसकी शेष अवधि के दौरान सरपंच या उप–सरपंच या ग्राम कचहरी के पंच के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नही होगा।''

(iii) उक्त अधिनियम की धारा–97(6) को विलोपित किया जाता है।

6. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–136 का संशोधन** ।– उक्त अधिनियम की धारा–136 की उपधारा (1) में शब्द ''ग्राम पंचायत के सदस्य'' के पश्चात शब्द **''सरपंच, ग्राम कचहरी का पंच''** अंतःस्थापित किये जाएंगे।

7. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–152 में संशोधन** ।– उक्त अधिनियम की धारा–152(1) एवं धारा–152(3) में शब्द ''या आयुक्त'' विलोपित किये जाएंगे।